न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)
पीठासीन अधिकारी : अक्षय गोदारा, IAS
पत्रावली संख्या : 144/14 (प्रा0पत्र)

अनवान्

1. श्री लोगरलाल पिता गंगाराम मेघवाल निवासी गोटीपा तह. वल्लभनगर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री चमन पिता कन्नीराम खटीक निवासी ताणा तह. कपासन, जिला चित्तौडगढ़।
2. श्री लोकेशकुमार पिता लक्ष्मीचन्द्र खटीक निवासी वल्लभनगर तह. वल्लभनगर।
3. श्री दलपतसिंह पिता भीमसिंह राजपूत निवासी साकरियाखेडी तह. मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री पंकज चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
–: : निर्णय : :–

दिनांक : 18.12.2019

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा साकरियाखेडी पटवार हल्का साकरियाखेडी तह. मावली में प्रार्थी वादी एवं भाई पूरण एवं प्रेमराज के खातेदारी की कृषि भूमि स्थित है। जिसके खेत खसरा नम्बर 1080, 1081, 1082, 1083, 1084 किता 5 रकबा 11 बीघा 8 बिस्वा हैं। जमाबन्दी की नकल साथ संलग्न हैं। जिसमें प्रार्थी वादी का 1/3 तीसरा हिस्सा हैं।
2. प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात राजस्व अभिलेख में मुझ प्रार्थी एवं मेरे भाईयों के नाम सामलाती खातेदारी हक से दर्ज है जमीन का कानूनी रूप से बंटवारा नहीं हुआ हैं। उक्त वर्णित जमीन के पडोस उत्तर में प्रेमराज की स्वयं द्वारा खरीदी हुई जमीन है, दक्षिण में चेनरामजी मेघवाल का खेत हैं, पूर्व में कच्चा रोड मादडी से होकर वल्लभनगर रोड से मिलता है, एवं पश्चिम में रामजी गायरी का खेत हैं। जमीन के चारो ओर थोहर की बाड कर रखी हैं। जिसमें अन्य किसी व्यक्ति का हक अधिकार नहीं हैं।
3. यह कि विपक्षीगण सं. 1 श्री चमन खटीक एवं विपक्षी सं. 2 लोकेश कुमार खटीक ने प्रार्थी को आज से 2 माह पहले खेत पर जब वादी अपनी जमीन की साफ सफाई कर रहा था तब 5–7 लोगों के साथ आये तथा मुझे धमकी दी की जमीन को खाली करों, यह जमीन हमारी है, हमने खरीद रखी है, विपक्षीगण ने उक्त जमीन में जबरन प्रवेश करना चाहा। मैने मना किया तो मरने मारने पर आमादा हुए, हाथ पैर तोडने की धमकी दी। विपक्षीगण जबरन प्रार्थी की जमीन को हडपना चाहते है, जिसका उन्हे कोई हक एवं अधिकार नहीं हैं। मैने विपक्षीगण या अन्य किसी व्यक्ति को जमीन विक्रय नहीं की हैं। विपक्षी सं. 3 श्री दलपतसिंह ने जबरन मुझसे एवं मेरे पुत्र से लिखापढी करवादी मेरे लडके से 5–7 चेक व खाली स्टाम्प पर हस्ताक्षर करवा दिये जिसपर लिखापढी टाईप करा रखी थी, जबकि मैने रूपये नहीं लिये जमीन नहीं बेची न जमीन को बेचने की बात की, इकरार में गवाह खुद लोकेश खटीक है, जिसके हस्ताक्षर है स्टाम्प की नकल

मुझे दी जो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं। यह षडयन्त्र विपक्षी सं. 3 लोकेशकुमार ने किया हैं। लोकेशकुमार ने मेरे पुत्र से भी लिखापढी कराई, खाली चेक भी लिये तथा अपहरण कर लिया, मेरा लडका घर नहीं आया। जिसका मुकदमा भी थाना वल्लभनगर में दर्ज करवाया। मेरे बच्चे को एवं मुझे जान से मरवाने की धमकी दी, जिस डर से मेरा लडका नापते है, घर नहीं आता हैं। विपक्षीगण सं. 1, 2, 3 किसी भी समय मेरे खेत पर आकर जबरन कब्जा कर सकते हैं, मेरी जमीन का सौदा कर सकते है अभी वर्षा का समय हैं। इसलिए मैं प्रार्थी जरिये स्थाई निषेधाज्ञा विपक्षीगण सं. 1 से 3 को पाबंद कराने का अधिकारी हुं कि ''वे उक्त जमीन में किसी प्रकार की तोड फोड नहीं करे, प्रवेश नहीं करें अतिक्रमण नहीं करे, मेरी जमीन का सौदा नहीं करें, यह कार्य वे स्वयं नहीं करे न अन्य के मार्फत करावें, तथा प्रार्थी एवं उसके परिवार को शांतिपूर्वक काश्त करने देवें।

4. यह कि वादकारण सर्व प्रथम जब 03.07.2013 को पैदा हुआ, जब विपक्षी सं. 3 ने जबरन स्टाम्प विपक्षी सं. 1 व 2 के पक्ष में लिखवाया तथा प्रार्थी के हस्ताक्षर करवाये जबकि प्रार्थी विपक्षी सं. 1 व 2 को जानता नहीं है, विपक्षी सं. 3 लिखापढी में खुद गवाह है, उसी ने सारी फर्जी कार्यवाही करवाई है। आज से दो माह पहले विपक्षीगण ने मुझ प्रार्थी को खेत पर आकर धमकी दी की तुझे तेरी खातेदारी एवं कब्जे आधिपत्य वाली जमीन से हटा देंगे। विपक्षीगण के मन में कपट एवं दुर्भावना आ गयी है तथा जमीन हथियाने पर आमादा हैं। वादकारण उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।
5. यह कि प्रथम दृष्टया मामला है, जमीन खातेदारी की हैं, प्रार्थना पत्र में वर्णित जमीन में विपक्षीगण जबरन प्रवेश कर कब्जा करने पर आमादा है, यदि विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो वे प्रार्थना पत्र में वर्णित जमीन पर कब्जा कर लेंगे, उससे प्रार्थी को भारी असुविधा होगी, मुकदमें बाजी बढेगी तथा उससे प्रार्थी को जो अपूरणीय क्षति होगी उसका मूल्यांकन मुद्रा में किया जाना संभव नहीं होगा, जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षीगण को किसी प्रकार की असुविधा या नुकसान होने वाला नहीं हैं।
6. अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व निम्न आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर विपक्षीगण को पाबंद किया जावे कि मौजा साकरियाखेडी पटवार हल्का साकरियाखेडी तह. मावली में स्थित खेत खसरा नम्बर 1080, 1081, 1082, 1083, 1084 किता 5 रकबा 11 बीघा 8 बिस्वा है जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा है, उसका प्रार्थी व उसके परिवार को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे उसमें विपक्षीगण प्रवेश नहीं करें, उसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचावे, कब्जा नहीं करे। यह कार्य वे स्वयं नहीं करें, न अन्य से करावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र पेश हैं।
7. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 से 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जा चुके है। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई।
8. हमने प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा बहस को सुना। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण के विरूद्ध मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाने का निवेदन किया।
9. हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है:–

1. *प्रथम दृष्टया मामला–* हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि वर्तमान में प्रार्थी के नाम पर दर्ज हैं जो जमाबन्दी से स्पष्ट है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि में विपक्षीगण खातेदार नहीं हैं। विपक्षीगण खातेदार नहीं होकर प्रार्थी की भूमि पर जबरन कब्जा करने पर उतारू होने से प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा चाहता हैं। प्रार्थी प्रार्थनाग्रस्त भूमि का खातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।
2. *सुविधा का संतुलन–* प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी खातेदार हैं। विपक्षीगण भूमि के खातेदार नहीं हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित हुआ हैं। अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित होता हैं। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।
3. *अपूरणीय क्षति–* चूंकि प्रकरण में प्रार्थनाग्रस्त भूमि का प्रार्थी खातेदार है। विपक्षीगण खातेदार नहीं होकर जबरन कब्जा करने पर उतारू होने से प्रार्थी विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा चाहता है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन के बिन्दु प्रार्थी/खातेदार के पक्ष में निर्णित हुए हैं। अतः उक्त बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

10. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि के प्रार्थी खातेदार हैं। विपक्षीगण खातेदार नहीं हैं। प्रार्थी के कथनानुसार विपक्षी सं. 2 द्वारा प्रार्थी की भूमि बाबत् जबरन विक्रय ईकरार लिखकर हस्ताक्षर करवा दिये हैं जबकि प्रार्थी द्वारा कोई जमीन नहीं बेची हैं। उक्त कुटरचित विक्रय ईकरार के आधार पर विपक्षीगण मौके पर कब्जा करने पर उतारू हैं। इसलिए प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण को पाबंद किया जाने की प्रार्थना की हैं। उक्त विक्रय ईकरार से सम्बन्धित बिन्दू को इस प्रार्थना पत्र में तय नहीं किया जा सकता हैं। उक्त बिन्दु को मूल वाद में साक्ष्य सबूत, तनकीयात के माध्यम से साबित किया जा सकता हैं, रहा प्रश्न विपक्षीगण के प्रार्थनाग्रस्त भूमि पर कब्जा करने का जिसका विपक्षीगण को कोई अधिकार नहीं हैं। क्योंकि वर्तमान में प्रार्थी द्वारा भूमि का पूर्ण प्रतिफल अदा कर विक्रय नहीं की हैं। वर्तमान में प्रार्थनाग्रस्त भूमि का प्रार्थी खातेदार है जब तक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि का बेचान नहीं हो जाता तब तक खातेदार के अधिकार को नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता हैं। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से कोई खण्डन नहीं किया है जिससे भी उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी के पक्ष में साबित होता हैं। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित हुए हैं। अतः पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाना उचित हैं। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि से तय किये जावेगे। उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा साकरियाखेडी पटवार हल्का साकरियाखेडी की आराजी नम्बर 1080, 1081, 1082, 1083, 1084 किता 5 रकबा 11 बीघा 8 बिस्वा भूमि में विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी के उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी करे, कब्जा नहीं करे, किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचावें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Akshay Godara
Date: 2020.01.09 17:59:10 IST
Reason: SelfAttested
Location: